

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2009 की प्रथम अपील संख्या 183

=====

मनोज कुमार अग्रवाल, पुत्र स्वर्गीय जीतन लाल अग्रवाल, निवासी ग्राम एवं डाकघर
एवं थाना- चेनारी, जिला- रोहतास ।

..... ...अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. गायत्री देवी, पत्नी मनोज कुमार अग्रवाल, मोसमात शांति कुएर की बहू, निवासी ग्राम एवं डाकघर एवं थाना- चेनारी, जिला- रोहतास।
2. उमा शंकर प्रसाद अग्रवाल, पुत्र स्वर्गीय जीतन लाल अग्रवाल, निवासी ग्राम एवं डाकघर एवं थाना- चेनारी, जिला- रोहतास।
3. सरोज कुमार अग्रवाल, पुत्र- स्वर्गीय जीतन लाल अग्रवाल, निवासी ग्राम एवं डाकघर एवं थाना- चेनारी, जिला- रोहतास।
4. उमा रानी अग्रवाल, पत्नी- उमा शंकर प्रसाद अग्रवाल, निवासी ग्राम एवं डाकघर एवं थाना- चेनारी, जिला- रोहतास।

..... ... प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए	:	श्री दिनेश्वर पाण्डेय, अधिवक्ता
उत्तरदाता संख्या 1 के लिए	:	श्री राहुल सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता संख्या 2 से 4 के लिए	:	श्री सिद्धार्थ हर्ष, अधिवक्ता

=====

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XXII नियम 3 धारा 151 के साथ—

समझौता आदेश—अपील के सभी दल, मूल प्रतिवादी संख्या 1 की अंतिम इच्छा के

अनुसार, अदालत के बाहर आपसी सहमति से विभाजन विवाद को सुलझा लिया है

और सामूहिक रूप से समझौते पर पहुंचे हैं—समझौता किया गया कागज़ सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है—क्षेत्र के विभाजन के मुद्दे को हल करते समय किसी भी पक्ष के साथ किसी भी तरह के धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व या अनुचित प्रभाव का कोई सामग्री नहीं है—अंतरिम आवेदन स्वीकृत—प्रथम अपील को कुछ राहतों के साथ निपटाया गया।

(पैराग्राफ 5 और 6)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह
मौखिक निर्णय

दिनांक: 24-03-2025

आई.ए. क्रमांक 04 वर्ष 2025

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश्वर पाण्डेय, प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल सिंह तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ हर्ष को सुना गया।

2. यह तात्कालिक अंतर्वर्ती आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 151 के साथ आदेश 23 नियम 3 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के मध्य समझौता डिक्री पारित करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी अर्थात् मनोज कुमार अग्रवाल, प्रतिवादी

क्रमांक 2 और 3 अर्थात् उमा शंकर प्रसाद अग्रवाल उर्फ उमा शंकर अग्रवाल तथा सरोज कुमार अग्रवाल सगे भाई हैं। प्रतिवादी क्रमांक 4 अर्थात् उमा रानी अग्रवाल, उमा शंकर प्रसाद अग्रवाल उर्फ उमा शंकर अग्रवाल (प्रतिवादी क्रमांक 2 1 अर्थात् मोसमात शांति कुमार अपीलार्थी, प्रतिवादी सं.2 और प्रतिवादी सं. 3 की मां थीं। अपीलार्थी की पत्नी अर्थात् गायत्री देवी उर्फ गायत्री अग्रवाल उर्फ गायत्री अग्रवाल को मूल प्रतिवादी सं.1 अर्थात् मोसमात शांति कुमार की मृत्यु के बाद मृतक प्रतिवादी सं.1 की कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मूल प्रतिवादी सं. 1, मोसमात शांति कुएर की मृत्यु 28.09.2024 को अपने पीछे तीन बेटों, अपीलार्थी, प्रतिवादी सं. 2 और प्रतिवादी सं. 3 को छोड़कर हो गई थी और अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने तीनों बेटों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की इच्छा व्यक्त की थी और वर्तमान मुकदमे को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त करना चाहती थीं। इसके बाद वर्तमान अपील के सभी पक्षकारों ने मूल प्रतिवादी सं. 1, ने न्यायालय के बाहर विभाजन विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और सामूहिक रूप से समझौता कर लिया है और समझौता विलेख की मूल प्रति वर्तमान मध्यस्थ आवेदन के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। शीर्षक वाद संख्या 435/2001 जिसमें आरोपित निर्णय और डिक्री पारित की गई थी, वाद संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किया गया था क्योंकि शेयरों के संबंध में कुछ विवाद था, जिस पर सभी शेयरधारकों द्वारा दावा किया जा रहा था और अब विवाद का समाधान हो गया है और तीन अलग-अलग अनुसूचियां यानी अनुसूची-ए, अनुसूची-बी और अनुसूची-सी तैयार की गई हैं। समझौता विलेख की अनुसूची-ए में उल्लिखित संपत्तियां प्रतिवादी संख्या 2, उमा शंकर प्रसाद अग्रवाल @ उमा शंकर अग्रवाल को आवंटित की गई हैं, समझौता विलेख की अनुसूची-बी में उल्लिखित संपत्तियां अपीलकर्ता, मनोज कुमार अग्रवाल और गायत्री देवी @ गायत्री अग्रवाल @

गायत्री अग्रवाल (प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या 1) को आवंटित की गई समझौता विलेख की अनुसूची-सी में उल्लिखित संपत्तियां प्रतिवादी संख्या 3, सरोज कुमार अग्रवाल उर्फ सरोज कुमार को आवंटित की गई हैं। प्रतिवादी संख्या 4, उमा रानी अग्रवाल को कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया गया है। उक्त उमा रानी अग्रवाल (प्रतिवादी संख्या 4) और गायत्री देवी उर्फ गायत्री अग्रवाल उर्फ गायत्री अग्रवाल (प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या 1) कोई अलग दावा नहीं करेंगी और दोनों उक्त विभाजन के साथ-साथ विभाजन से संबंधित समझौते की शर्तों और नियमों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि शेयरों के आवंटन से संबंधित सभी अनुसूचियों पर सभी पक्षों और अपीलकर्ता, मनोज कुमार अग्रवाल, गायत्री देवी @ गायत्री अग्रवाल @ गायत्री अग्रवाल (प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं.1), उमा शंकर प्रसाद अग्रवाल @ उमा शंकर अग्रवाल (प्रतिवादी सं.2), सरोज कुमार अग्रवाल @ सरोज कुमार (प्रतिवादी सं.3) और उमा रानी अग्रवाल (प्रतिवादी सं.4) द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। अपने-अपने हलफनामे में शपथ ली है, जिसकी मूल प्रतियां इस अंतरिम आवेदन के साथ दायर की गई हैं और इन हलफनामों में, उन सभी ने उक्त समझौते के नियमों और शर्तों का पूर्ण समर्थन किया है और समझौते के नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी में समझौता विलेख पर हस्ताक्षर करने की बात भी स्वीकार की है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे सिविल मुकदमे को अंततः समाप्त करने के लिए, दोनों पक्ष संयुक्त रूप से उनके द्वारा किए गए समझौते के आलोक में एक समझौता डिक्री पारित करने के लिए प्रार्थना करते हैं और समझौते को प्रभावी करने के लिए शीर्षक सूट संख्या 435/2001 में पारित विवादित निर्णय और डिक्री को अलग करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं और समझौते के प्रकाश में प्रारंभिक डिक्री

पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त समझौते के माध्यम से, सभी संपत्तियों को सभी पक्षों के बीच मेट्स और सीमाओं द्वारा विभाजित किया गया है।

4. उपरोक्त प्रार्थना के मद्देनजर, इस न्यायालय ने इस अंतरिम आवेदन में किए गए कथनों और समझौता विलेख की सामग्री के साथ-साथ सभी पक्षों द्वारा अपने-अपने हलफनामे में दिए गए बयानों का अवलोकन किया है, यह न्यायालय इस विचार पर है कि दोनों पक्ष वैध समझौते पर पहुंच गए हैं और दोनों पक्षों के बीच विभाजन के मुद्दे को हल करते समय किसी भी पक्ष पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत बयानी या अनुचित प्रभाव आदि दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। समझौता विलेख, अनुलग्नक-1, पर सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इन तथ्यों और उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते के आलोक में उनके बीच चल रहे सिविल मुकदमे को समाप्त करने के लिए समझौता डिक्री पारित करने के लिए इच्छुक है। तदनुसार, शीर्षक वाद संख्या 435/2001 में पारित निर्णय और डिक्री, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है, दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते के आधार पर अपास्त की जाती है, लेकिन गुण-दोष के आधार पर नहीं और अपीलकर्ता, मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा दायर वाद, सी.पी.सी. के आदेश 23 नियम 3 के प्रावधानों के प्रकाश में और दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते के मद्देनजर, इस मामले में प्रारंभिक डिक्री तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. समझौता विलेख (वर्तमान अन्तर्वर्ती आवेदन के अनुलग्नक-1) की शर्तों के आलोक में अंतिम डिक्री तैयार की जाए, जो निर्धारित सीमा अवधि के भीतर डिक्री का हिस्सा होगी और इस आदेश की प्रमाणित प्रति तथा तैयार की जाने वाली डिक्री को आवश्यक कार्रवाई के लिए विचारण न्यायालय को भेजा जाए।

6. तदनुसार, तत्काल अन्तर्वर्ती आवेदन, अर्थात्, आई ए संख्या 04/2025 को स्वीकृत किया जाता है और वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों को उनके समझौते के आलोक में उपर्युक्त राहत प्रदान की गई है।

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़ /

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।